पत्रांक –04 / वि0प0आ0सू0प्रा0–41 / 2012 / 868 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी

प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना–15, दिनांक– 28/2/13

विषयः– आवासीय झोपड़ी को परिभाषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 653 दिनांक–29.11.2012 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त गैर आवासीय झोपड़ियों की मुआवजा भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि परम्परागत निदेशों के अनुसार आवासीय मकानों के लिए ही अनुदान का लाभ प्रभावितों को दिया जा रहा है। अनुदान गृह क्षति के लिए देय होता है। गृह वह है जहाँ लोग रहते है, ऐसी स्थिति में विभागीय पत्रांक 1293 दिनांक–17.04.2012 द्वारा परिचारित मानदर के क्रम संख्या 9 (घ) में अंकित परिभाषा "झोपड़ी का मतलब –अस्थायी, बनाकर हटाने वाली इकाई, कच्चा मकान का आन्तरिक भाग, फूस, गिली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने/पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है" इससे आवासीय झोपड़ी की परिभाषा मानते हुए क्षति के लिए अनुदान देने संबंधी कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–868 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 28/2/13.

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\youjana 2013\letter 26-02-13 gagan sir.docx